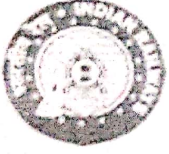


पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

No.ECR-HQOPERS (RULE)/0006/2026 (Com.No.366438)

Date: As Signed

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. संबंधित PHOD/CHOD/पूरमे/हाजीपुर।
3. प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/पूरमे/हाजीपुर।
4. DRM/पूरमे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/आई.आर./पूरमे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
8. Dy.CPO/पीडी/डीडीयू।
9. Sr.DPO/पूरमे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
10. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
11. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
12. सकाधि/यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
13. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूरमे/हाजीपुर।

विषय:- पूर्व मध्य रेल के सभी विभाग हेतु अवर लिपिक (लेवल-2) से प्रवर लिपिक (लेवल-5) के पदों पर पदोन्नति (Seniority - Cum - Suitability) (DPQ 66.66%) के संबंध में।

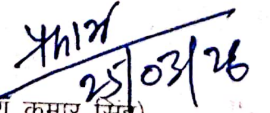
संदर्भ : e.office file No.ECR-HQOPERS (RULE)/0006/2026 (Com.No.366438) Note# 01-12

विषयोक्त के संदर्भ में पूर्व मध्य रेल के सभी विभाग के अवर लिपिक (लेवल-2) से प्रवर लिपिक (लेवल-5) के पदों पर पदोन्नति (Seniority - Cum - Suitability) हेतु CBT के माध्यम से लिखित परीक्षा, रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कराये जाना है।

उक्त के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

1. CBT के माध्यम से अवर लिपिक (लेवल-2) से प्रवर लिपिक (लेवल-5) के पदों पर पदोन्नति (Seniority - Cum - Suitability) हेतु सभी विभागों के लिए Common Syllabus के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी।
2. उपरोक्त लिखित परीक्षा (CBT) हेतु नियमानुसार 03 सदस्यीय JAG/Sr. Scale officers कमिटी का गठन किया जाएगा, (including nominating one member for evaluation and verification of CBT result.)। प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले अधिकारों का नामन मंडल/इकाई के नामित सदस्यों में से कार्मिक विभाग के PHOD/CHOD द्वारा किया जाएगा।
3. सभी विभागों के लिए उक्त पदोन्नति (Seniority - Cum - Suitability) हेतु समान पाठ्यक्रम (Common Syllabus) सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया गया है।

संलग्नक : यथोपरि (कुल 02 पृष्ठ)


(प्रकाश कुमार सिंह)

सहायक कार्मिक अधिकारी/ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/पूरमे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुकाधि के निजी सचिव - प्रमुकाधि महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. महासचिव/ईसीआरईयू/पूरमे/हाजीपुर।
3. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूरमे/हाजीपुर।
4. सकाधि (एम.पी.पी.)/पूरमे/हाजीपुर-कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।



Syllabus for Suitability test for promotion to the post of Sr. Clerk – Cum – typist, Level – 5

against 66.66% DPQ in all Department over East Central Railway.

Sl. No.	Subject
1.	Organizational Structure of Ministry of Railways at Railway Board, Zonal Railways, Divisional/Unit levels.
2.	<u>Office Procedure:</u> a. Management of DAK and Receipts. b. File Management c. Records Management including records retention Schedule. d. Classification of documents and handing of classified documents. e. Dealing of VIP, MP, MLA and CA – III references.
3.	<u>Forms of Communications:</u> a. Letter/DO writing b. Notifications c. Writing Noting on files.
4.	Award of Works in Works Programme.
5.	Procedure for Stores Procurement (including through GeM).
6.	Statutory Audit/Accounts Inspection Notes, Draft Paras.
7.	Standards of financial propriety.
8.	Railway Housing (Railway Quarters allotment) Policy.
9.	Discipline & Appeal Rules and Conduct Rules.
10.	Medical examination and Medical facilities available to Railway employee.
11.	Man Power Planning – Vacancy Bank, Creation of Posts, Benchmarking, Supernumerary Posts, Redeployment of surplus staff, Redistribution of posts & Training.
12.	Recruitment, Selection & Suitability, Seniority, Grant of MACPs benefit and APAR.
13.	Pay and Allowances.
14.	Pass Rules.
15.	Leave Rules.
16.	Railway Pension Rules (OPS, NPS & UPS)
17.	Railway Servants (Hours of Work & Period of Rest) Rules – 2005.
18.	Staff Benefits Fund.
19.	Model Schedule of Powers.
20.	Right to Information Act – 2005.
21.	Official Language Policy, Act and Rules.
22.	Recognition and facilities to Trade Union/Associations.
23.	CPGRAM, HRMS, e – office & UMID.

Note – 1 : Questions set in the paper will be normally to assess the understanding of the candidates w. r. t. various topics as above which various ministerial staff are required to know.

Note – 2 : 10 % of the total marks will be from Official Language Policy, Act and Rules which will be optional.

पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

66.66 % विभागीय पदोन्नति कोटा के तहत वरिष्ठ लिपिक (लेवल-5) के लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

1. रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, मंडल/इकाई स्तरों पर रेल मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना ।
2. कार्यालय की प्रक्रिया
क). डाक और प्राप्तियों (रसीद) का प्रबंधन ।
ख). फाइल प्रबंधन ।
ग). अभिलेख प्रबंधन, जिसमें अभिलेख संरक्षण अनुसूची भी शामिल है ।
घ). दस्तावेजों का वर्गीकरण और गोपनीय दस्तावेजों का प्रबंधन ।
ड). वीआईपी, एमपी, एमएलए और सीए-।।। संदर्भों का निपटान ।
3. संचार के रूप
क). पत्र लेखन/कार्यालय लेखन ।
ख). अधिसूचनाएँ ।
ग). फाइलों पर टिप्पणियाँ लिखना ।
4. कार्य योजना में कार्यों का आवंटन ।
5. भंडार खरीद की प्रक्रिया (GeM के माध्यम से भी)
6. वैधानिक लेखा परीक्षा नोटिस ड्राफ्ट पैरा ।
7. वित्तीय औचित्य के मानक
8. रेलवे आवास (रेलवे आवास आवंटन) नीति ।
9. अनुशासन एवं अपील नियम तथा आचरण नियम ।
10. रेलवे कर्मचारी के लिए चिकित्सा जाँच एवं चिकित्सा सुविधाएँ ।
11. मानव शक्ति नियोजन – रिक्त बैंक, पदों का सृजन, बेंचमार्किंग, अतिरिक्त पद, सरपल्स कर्मचारियों की पुर्ननियोजन, पदों का पुर्नवितरण एवं प्रशिक्षण ।
12. भर्ती, चयन और उपायुक्ता, वरिष्ठता, एम.ए.सी.पी का लाभ और ए.पी.ए.आर का अनुदान ।
13. वेतन एवं भत्तों ।
14. पास नियम ।
15. छुट्टी नियम ।
16. रेलवे पेंशन नियम (OPS, NPS & UPS)
17. रेलवे कर्मचारी (कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि) नियम – 2005
18. कर्मचारी लाभ निधि ।
19. MODEL MSOP (शक्तियों की मॉडल अनुसूची)
20. सूचना का अधिकार अधिनियम –2005
21. राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम ।
22. ट्रेड यूनियन/एसोसिएशनों का मान्यता और सुविधाएँ
23. HRMS, CP-GRAM, e.office & UMID

नोट : 1. प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न सामान्यतः विभिन्न विषयों के संबंध में अभ्यर्थियों की समझ का आकलन करने के लिए होंगे, जिन्हें कर्मचारियों को जानना आवश्यक है ।

नोट : 2. कुल अंको का 10% अंक राजभाषा नीति, अधिनियम और नियमों से होगा, जो वैकल्पिक होगा ।
